रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1990/श्रावण 8, 1912

No. 315] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1990/SRAVANA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 676(अ) :— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति (उपलब्धि और पेंशन) अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 1990 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 के नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) (क) सेवानिवृत्त राष्ट्रपति, सचिवीय कर्मचारिवृन्द का, जिसमें एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक चपरासी होगा, हकदार होगा और उसे ऐसे सचिवीय कर्मचारिवृन्द के रख-रखाव के लिए उसके द्वारा उपगत किए गए वास्तविक प्रभारों का संदाय किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रत्येक सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को 12,000 रु. (केवल बारह हजार रुपए) से अनधिक रकम का कार्यालय व्यय मदें उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभारों हेतु संदाय किया जाएगा ;

(ग) इस उपनियम के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सभी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे;

(घ) सेवा निवृत्त राष्ट्रपति, अपने शेष जीवनकाल में, भारत में कहीं भी, जैसा कि सेवा निवृत्त राष्ट्रपति

अरण करें, किराए के संदाय के बिना सुसज्जित निवास का उपयोग करने का जल और विद्युत प्रभारों का संदाय किए बिना हकदार होगा :

(ङ) ऐसे स्थानों पर जहां सरकार के स्वामित्वाधीन वास सुविधा का सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को आवंटन किया जाता है वहां निवास का आकार संघ की मंत्रि-परिषद् के किसी मंत्री को आवंटित निवास के बराबर होगा और यदि किसी विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध सरकारी निवास के उच्चतम टाइप का आकार, संघ की मंत्रि-परिषद के किसी मंत्री को आवंटित निवास के आकार से कम है तो उस स्थान पर उपलब्ध वास सुविधा का उच्चतम टाइप पूर्व राष्ट्रपति को आवंटित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर जहां उपयुक्त सरकारी निवास सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को दिए जाने के लिए पट्टे पर लिए जाने वाले निवास का आकार वह आवास क्षेत्र होगा जो 2,000 वर्गफीट से अधिक नहीं होगा।

(च) सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को आवंटित निवास में दिए गए किराया मुक्त फर्नीचर और विद्युत साधित्रों का मूल्य, संघ की मंत्रि-परिषद के किसी मंत्री को आवंटित निवास में दिए गए किराया-मुक्त फर्नीचर और विद्युत साधित्रों के प्रदाय के लिए विहित धनीय सीमा से अधिक नहीं होगा :

(छ) सेवा निवृत्त राष्ट्रपति, अपने निवास पर निःशुल्क एक टेलीफोन और मोटर कार का उपयोग करने का हकदार होगा और उसे उनके रख-रखाव पर उसके उपगत किए गए वास्तविक प्रभारों का संदाय किया जाएगा :

परन्तु वह अपनी मोटर कार का उपयोग कर सकेगा जिसके बदले में उसे प्रत्येक मास 250 लीटर पेट्रोल की लागत के बराबर कार भत्ते का धन, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार में ड्राइवर का पद धारण किए हुए है, समय-समय पर, अनुज्ञेय वेतन का संदाय किया जाएगा।"

[फा सं. 1/5/90-एम एण्ड जी]

एन.के. सिंह, संयुक्त सचिव

राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 जी.एस.आर.सं. 1328 दिनांक 1 अक्टूबर, 1962 के तहत अधिसूचित किए गए थे।

उक्त नियमों में पहले निम्न प्रकार संशोधन किया गया था :—

1. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 13/1/67-पब्लिक 1, दिनांक 29 अगस्त, 1967

2. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 13/6/68-पब्लिक 1, दिनांक 9 अक्टूबर, 1968

3. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 13/6/68-पब्लिक 1, दिनांक 8 जनवरी, 1969

4. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/3/76-स्टेट्स, दिनांक 28 फरवरी, 1977

5. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2/86-एम.एण्ड जी, दिनांक 9 अप्रैल, 1986

[जी एस आर 613 (अ)]।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1990

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the President's (Emoluments and Pension) Act, 1951 (30 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the President's Pension Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the President's Pension (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the President's Pension Rules, 1962, for sub-rule (1) of the following sub-rule shall be substitued, namely:—

"(1) (a) A retired President shall be entitled Secretarial Staff consisting of a Private Secretary, a Personal Assistant and a Peon shall be paid actual charges incurred by him for the maintenance of such secretarial staff.

(b) During each financial year, an amount not exceeding Rs. 12,000 (Rupees twelve thousand only) shall be paid to every retired President towards the actual charges incurred by him on account of office expenses.

(c) All expenses referred to in clauses (a) and (b) of this sub-rule shall be borne by the Central Government.

(d) A retired President shall be entitled without payment of rent to the use of a furnished residence anywhere in India, at the choice of the retired Pdesident, without payment of water and electricity charges for the remainder of his life

(e) At places where Government owned accommodation is allotted to a retired President, the size of the residence shall be comparable to the residence allotted to a Minister in the Union Council of Ministers and if the highest type of Government residence available at a particular place is less in size than a residence allotted to a Minister in the Union Council of Ministers the highest type of accommodation available at that place shall be allotted to the ex-

President. At places where suitable Government residence is not available for allotment to a retired President, the size of residence to be taken on lease to be provided to a retired President, shall have a living area not exceeding 2000 square feet.

(f) The value of the furniture and electrical appliances provided free of rent in a residence allotted to the retired President, shall not exceed the monetary limit prescribed for supply of furniture and electrical appliance provided free of rent in a residence allotted to a Minister in the Union Council of Ministers.

(g) A retired President shall be entitled to the use of a telephone at his residence and a motor car, free of charge and shall be paid actual charges incurred by him on the maintenance thereof ;

Provided that he may use his own motor car in lieu of which he shall be paid, every month, car allowance equal to the cost of 250 litres of petrol plus salary admissible to a person, from time to time, holding the post of a Driver in the Government of India."

[F. No. 1/5/90-M&G]
N. K. SINGH, Jt. Secy.

The President's Pension Rules, 1962 were notified vide G.S.R. No. 1928, dated the 1st October, 1962.
The said rules were earlier amended as under :—

1. MHA Notification No. 13/1/67-Pub. I, dated the 29th August, 1967.
2. MHA Notification No. 13/6/68-Pub. I, dated the 9th October, 1968.
3. MHA Notification No. 13/6/68-Pub. I, dated the 8th January, 1969.
4. MHA Notification No. 1/3/76-States, dated the 28th February, 1977.
5. MHA Notification No. 1/2/86-M&G, dated the 9 April, 1986. (G.S.R. 613 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990